न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री एल.एन मीणा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 139/2010/(2010/00027) जिला–नागौर

1. ओम प्रकाश पुत्र स्व0 रामस्वरूप पुत्र स्व0 मांगीया
2. पुखराज पुत्र स्व0 रामस्वरूप पुत्र मांगीया
3. नाथी पुत्री स्व0 रामस्वरूप पुत्र स्व0 मांगीया
   जाति खटीक निवासी इटावा बामनिया तहसील मकराना जिला नागौर।

–––अपीलार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार, मकराना जिला नागौर।
2. भंवरलाल पुत्र सूरजकरण, जाति महाजन निवासी गच्छीपुरा तहसील मकराना जिला नागौर।

––––प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नागौर
दिनांक 19–06–2009 अन्तर्गत अपील संख्या 31/2007

————

उपस्थित– 1. श्री पुष्पेन्द्र सिंह व लेखू मंघानी अभिभाषकगण अपीलार्थी
2. श्री बी.एस.राठौड, गिरीश पारीक अभिभाषकगण प्र0 सं0 2

निर्णय

दिनांकः– 27.12.2019

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी के दादा स्व0 मांगीया पुत्र शिवनारायण ने अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना के न्यायालय में एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम इटावा बामनिया की सरहद में खसरा नम्बर 125 रकबा 11 बीघा 3 बिस्वा भूमि जागीर के समय से उसके कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजियात थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने पर अपीलार्थी के दादा मांगीया की खातेदारी में दर्ज थी परन्तु जरिये नामान्तरकरण संख्या 64 दिनांक 6–6–73 को उक्त भूमि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 के नाम दर्ज कर दी गई जबकि मांगीया अनुसूचित जाति का है एवं भवरलाल स्वर्ण जाति का है जिससे उक्त नामान्तरकरण तस्दीक नहीं किया जा सकता है उसके पश्चात भी उक्त नामान्तरकरण तस्दीक किया गया जिसकी जानकारी होने पर अपीलार्थी के

दादा स्व0 मांगीया ने रेकार्ड प्राप्त कर नामान्तरकरण संख्या 64 दिनांक 6–6'73 के विरूद्ध धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र सहित अपील प्रस्तुत की जिसे अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना ने अपने आदेश दिनांक 19–6–2009 के द्वारा अपीलार्थी की अपील खारिज कर दी। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायलय में प्रस्तुत की गई।

अपील Subject-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनो पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

अभिभाषक अपीलार्थीगण द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलार्थीगण की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया गया कि अधिनस्थ न्यायलय के आदेश दिनांक 19–6–2009 की जानकारी अपीलार्थीगण को नहीं हो सकी क्योंकि प्रार्थीगण के दादा स्व0 मांगीया का स्वर्गवास दिनांक 20–6–2009 को हो गया था। अपीलार्थीगण जब दिनांक 20–8–2010 को अपने अभिभाषक से मिलने गये तब उक्त अपील खारिज किये जाने की जानकारी हुई तब अपीलार्थीगण ने नकल व पत्रावली प्राप्त कर अभिभाषक से जानकारी कर उक्त आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों तथा रेस्पोन्डेन्ट अभिभाषक के जवाब पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलान्ट् द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि अति0 जिला कलक्टर डीडवाना ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व यह जानकारी नहीं की कि अपीलार्थीगण अनुसूचित जाति के व्यक्ति है एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 जिसके नाम नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है वह सवर्ण जाति का व्यक्ति है जबकि यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति की खातेदारी भूमि का किसी भी तरह से सवर्ण जाति के व्यक्ति के नाम नामान्तरकरण नहीं किया जा सकता है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य को नजरअन्दाज कर विधिविरूद्ध आदेश पारित किया है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व यह भी देखने में कानूनी भूल की है कि धारा 42 राजस्थान

काश्तकारी अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति की भूमि पर सवर्ण जाति के व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान करना वर्जित है फिर भी इस तथ्य को नजरअन्दाज कर विधिविरूद्ध निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व इस तथ्य की भी जांच नहीं की कि नामान्तरकरण संख्या 64 अवैध एवं विधिविरूद्ध ता एवं धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के प्रतिकूल होने से प्रारम्भ से ही शून्य था। ऐसे शून्य एवं विधिविरूद्ध आदेश पर मियाद लागू नहीं होती है उसे कभी भी निरस्त कराया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि विवादग्रस्त आराजियात पर आज दिनांक तक अपीलार्थीगण का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसकी बिना जांच किये एवं बिना अपीलार्थीगण को सुने नामान्तरकरण तस्दीक किया गया जो निरस्त किये जाने योग्य था। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19–6–2009 विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस के जवाब में प्रत्यर्थी –2 के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि खसरा गिरदावरी सन् फसली 2014–17 में प्रत्यर्थी संख्या 2 का नाम था। अपीलार्थीगण ने अधिनस्थ न्यायालय में दावा किया तो नामान्तरकरण की जानकारी उनको पूर्व से ही थी। इसलिए नामान्तरकरण की अपील मियाद बाहर है। विवादग्रस्त आराजियात का अपीलार्थीगण ने बेचान भी नहीं किया है। ग्राम इटावा बामनिया तहसील परबतसर जिला नागौर की खसरा गिरदावरी सम्वत 2031 से 31 में प्रत्यर्थी संख्या 2 बतौर शिकमी काश्तकार काबिज काश्त चला आ रहा है। अपीलार्थीगण को विवादग्रस्त आराजियात बाबत अपीलार्थीगण के मुकदमा नम्बर 2/3/72 की जानकारी वर्ष 1972 से ही थी तथा नामान्तरकरण संख्या 64 दिनांक 6–6–73 को स्वीकृत हुआ था जो सक्षम न्यायालय द्वारा मेरिट के आधार पर पारित निर्णय अनुसार भरा गया था। विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 125 तत्कालीन जागीरदार की जागीर का था तथा जागीरदार द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 को सम्वत 2000 से बहैसियत काश्तकार काश्त करने हेतु बनाया था। इस प्रकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 को टेनेन्सी एक्ट 1949 की धारा 10 के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये थे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 को कब्जा काश्त सम्वत् 2000 से लगतार आज दिनांक तक चला आ रहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 क के अन्तर्गत भी रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है। सेटलमेंट की भूल मात्र से उक्त समय का पर्चा लगान मात्र अपीलार्थी के नाम आ गया था। अपीलार्थीगण ने वर्ष 1989 में राजस्व वाद संख्या 427/89 मांगीलाल बनाम भंवरलाल वगैरह दायर किया था जो दिनांक 18–8–99 को खारिज हो चुका है जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण ने माननीय राजस्व अपील अधिकारी के न्यायालय में अपील संख्या 61/99 दायर की जो दिनांक 13–8–2003 को खारिज हो चुकी है। अपीलार्थीगण ने उक्त नामान्तरकरण संख्या 64 दिनांक 6–6–73 के विरूद्ध तहसीलदार, के मार्फत एक रेफरेन्स न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना के यहां प्रस्तुत किया जो रेफरेन्स प्रकरण संख्या 11/05 दिनांक 10–3–2006 को

खारिज किया जा चुका है। अतः अपीलार्थीगण की अपील सारहीन होने से मियाद बिन्दू पर ही अपील खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी को नामान्तरकरण संख्या 64 दिनांक 6–6–1973 की जानकारी वर्ष 1973 से ही है तथा विभिन्न न्यायालयों में अपीलार्थी द्वारा उसके विरूद्ध चाराजोही की जा चुकी है एवं न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की कार्यवाही को नामान्तरकरण की अपील में निर्णित नहीं किया जा सकता एवं ना ही न्यायालय का निर्णय नामान्तरकरण की अपील द्वारा निरस्त किया जा सकता है। वर्ष 1973 में पारित नामान्तरकरण संख्या 64 निर्णय दिनांक 6–6–1973 के विरूद्ध दिनांक 6–8–2017 को 34 वर्षो के पश्चात प्रस्तुत अपील को उपरोक्त विवेचनों के पश्चात किसी भी रूप से अन्दर मियाद नहीं कहा जा सकता है तथा ना ही अपीलार्थी द्वारा मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में देरी का कोई युक्ति संगत कारण ही दर्शाया गया है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की अपील को मियाद बाहर होने के आधार पर अस्वीकार योग्य होना दर्शाकर जो खारिज किया है वह सही प्रतीत होता है। अतएवं ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19–06–2009 विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19–06–2009 अन्तर्गत अपील संख्या 31/2007 बउनवानी मांगीया बनाम सरकार व अन्य विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

(लक्ष्मी नारायण मीणा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Narain Meena
Date: 2020.04.07 12:50:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: